

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1585 / 2015 / जयपुर.

मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड,
30, श्रीरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर.

.....अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर.
2. अपीलीय प्राधिकारी-II, वाणिज्यिक कर, जयपुर.

.....प्रत्यर्थीगण.

2. अपील संख्या – 2267 / 2015 / जयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर.

.....प्रार्थी.

बनाम

मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड,
30, श्रीरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर.

.....अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा

उप-राजकीय अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/01/2018



निर्णय

1. उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-II, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 290/अ.प्रा.-II/आरवीएटी/जयपुर/14-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 14.08.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 27, 55 व 18(1) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. उपरोक्त अपीलों के पक्षकार, तथ्य एवं विवाद बिन्दु समान होने से इन प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रस्तुत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह था कि व्यवहारी द्वारा क्लेम की गई आई.टी.सी में से खनन कार्य की Machinery & Equipment तथा उसमें प्रयोग होने वाली Oil & Lubricant की खरीद पर क्लेम को इस आधार पर खारिज किया गया कि वह क्रय शुदा माल Cement निर्माण के कार्य में प्रयुक्त न होकर

लगातार.....2



केवल खनन कार्य में उपयोग में लिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया था कि खनन के कार्य हेतु खरीद गये माल पर आई.टी.सी. दिये जाने का प्रावधान अधिनियम की धारा 18 में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि खनन कार्य विनिर्माण से भिन्न है। ऐसी स्थिति में खनन कार्य हेतु उपयोग में ली जाने वाली Machinery न तो Capital Goods में शामिल है एवं न ही उसमें प्रयुक्त Oil & Lubricants कच्चे माल में शामिल होते हैं। इस तरह खनन कार्य में प्रयुक्त Machinery व कच्चे माल की खरीद पर आई.टी.सी. क्लेम को खारिज किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया परन्तु अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। इसके अलावा Fire Fighting के लिये खरीद किये गये माल को विनिर्माण कार्य में उपयोगी माल मानते हुये रूपये 14,973 का क्लेम देने का निर्णय अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया है। इस तरह आई.टी.सी. एवं ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा एवं शास्ति के बिन्दु पर राजस्व द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलीय आदेश, कर निर्धारण आदेश तथा रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा Mining के कार्य हेतु खरीद किये गये Machinery एवं उसको कार्यशील करने हेतु Oil & Lubricant की खरीद पर आई.टी.सी. का लाभ इसीलिए नहीं दिया गया कि अधिनियम की धारा 18(1) के तहत खनन कार्य पर क्लेम देने का कोई प्रावधान नहीं है, एवं "खनन कार्य" "विनिर्माण" की परिभाषा में शामिल नहीं है। उक्त विवादित बिन्दु पर राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1320/2013/सिरोही वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-द्वितीय, जयपुर बनाम मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड, पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही निर्णय दिनांक 26.06.2014 में विस्तृत विवेचन कर यह अवधारित किया जा चुका है कि सीमेन्ट निर्माण के पूर्व किये जाने वाले Mining कार्य में प्रयुक्त मशीनरी, ऑयल तथा लुब्रीकेन्ट की खरीद पर आई.टी.सी. का क्लेम किया जाना अविधिक है। कर बोर्ड के उक्त आदेश से यह प्रकरण कवर्ड होने से व्यवहारी की अपील खारिज की जाती है।


6. प्रकरण में Fire Fighting Equipment को अपीलीय अधिकारी द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त मशीनरी का भाग मानकर उस पर आई.टी.सी. क्लेम दिये जाने का निर्णय करने में कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि विनिर्माण कार्य में अनिवार्य प्लाण्ट एवं मशीनरी में ये वस्तुएं सम्मिलित होने से इस पर आई.टी.सी. का क्लेम रूपये 14,973/- देने का अपीलीय आदेश विधिसम्मत है।





7. राजस्व की ओर से करापवंचन के आरोप में आरोपित शास्ति अपास्त करने के बिन्दु पर अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर विचार किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड इण्डस्ट्रीज, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 एवं कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1320/2013/सिरोही वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-द्वितीय, जयपुर बनाम मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड, पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही निर्णय दिनांक 26.06.2014 में आई.टी.सी. क्लेम के विवाद के प्रकरणों में करावपवंचन मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपण को विधिसम्मत नहीं माना गया है। अतः माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत होने से राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

8. फलतः राजस्व एवं व्यवहारी की उक्त दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।


(के. झल.जेन)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष